

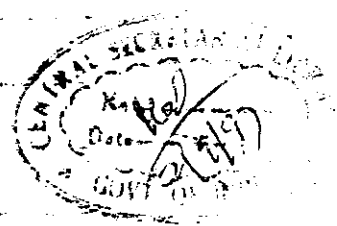


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 326]
No. 326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 1997/ज्येष्ठ 9, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 1997/JYAISTHA 9, 1919

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 1997

का.आ. 420(अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार समिति का पुनर्गठन करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 79(अ) तारीख 3 फरवरी, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“1. डाक्टर मंगला राय,
उप महानिदेशक (फसल विज्ञान),
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली। अध्यक्ष”

(ii) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“5. डाक्टर (श्रीमती) एस.बी. लाल,
अपर आचार्य, भेषज विज्ञान विभाग,
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली। सदस्य”;

(iii) पैरा 2 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 19-4/95-पी.पी. I]
अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 1997

S.O. 420(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968, (46 of 1968), the Central Government hereby reconstitutes the Registration Committee and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 79(E), dated, the 3rd February, 1997, namely:—

In the said notification,—

(i) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“1. Dr. Mangla Rai,
Deputy Director General (Crop Sciences),
Indian Council of
Agricultural Research,
New-Delhi. Chairman”;

(ii) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“5. Dr. (Mrs.) S.B. Lal,
Additional Professor,
Department of Pharmacology,
All India Institute of Medical Sciences,
New Delhi. Member”;

(iii) Paragraph 2 shall be omitted.

[F. No. 19-4/95-PP I]
ANIL SINHA, Jt. Secy.